

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

संचिका संख्या-09/निधि-(2013 मंत्रिपरिषद)-01-08/2026-

34(S)^{अवकाश}

पटना, दिनांक : 01/06/2026

सेवा में,

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पथ निर्माण विभाग (मुख्यालय), बिहार, पटना।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्य शीर्ष-2013-मंत्रिपरिषद- 800 अन्य व्यय-0001 मंत्रीगण -1301 कार्यालय व्यय के अन्तर्गत माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग के लिए कार्यालय व्यय इकाई में ₹ 75,000/- (पचहत्तर हजार रुपये) मात्र का उप-आवंटन।

आदेश :- उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के पत्रांक- 3/सी0 एस0/एम0-16/2026-518, पटना-15, दिनांक- 13.05.2026 के द्वारा कार्यालय व्यय में उपलब्ध कराये गये आवंटन के आलोक में माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग के कार्यालय व्यय के लिए ₹ 75,000/- (पचहत्तर हजार रुपये) मात्र का उप-आवंटन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में कार्यालय व्यय मद में कुल उप-आवंटित राशि संलग्न विवरणी के स्तम्भ-5 के अनुसार हो जायेगी।

- यह व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग संख्या-04 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2013-मंत्रिपरिषद- 800 अन्य व्यय-0001 मंत्रीगण - 1301 कार्यालय व्यय में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा। जिसका विपत्र कोड- 04-2013008000001 है।
- इस राशि का उप आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के पत्रांक- 3/सी0 एस0/एम0- 16/2026-518, पटना-15, दिनांक- 13.05.2026 एवं वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2419 वि0 (2), दिनांक-05.04.2007 के साथ पठित वित्त विभाग के पत्र सं0-2561 वि0 (2) दिनांक-17.4.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र में यह अंकित किया जायेगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है। विपत्र में आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का भी उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र में निहित राशि की निकासी की जा रही है।
- यदि इस उप आवंटित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में नहीं हो सके तो प्रत्यार्पण दिनांक- 15.02.2027 तक अवश्य कर दिया जाय। अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितता की सारी जिम्मेवारी आप पर होगी। सामग्रियों का क्रय विभागीय आयुक्त एवं सचिव के आदेश से बिहार वित्तीय नियमावली के खण्ड-8 के नियमों में निहित प्रावधान के अनुसार तथा निविदा के आधार पर किया जायेगा। क्रय किये गये सामग्रियों को भंडार पंजी में अवश्य दर्ज किया जाय।
- इस उप आवंटित राशि से सिर्फ माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग के कार्यालय व्यय से संबंधित विपत्रों का ही नियमानुसार भुगतान किया जाय। सामानों के अनुमान्यता के संबंध में संसदीय कार्य विभाग से सम्पर्क किया जाय।
- उप-आवंटित राशि का व्यय नियमानुसार CFMS के माध्यम से किया जायेगा।
- आवंटन से अधिक व्यय किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय। यदि आवंटन से अधिक व्यय होता है तो इसके लिए आप पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।
- प्रस्ताव पर सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।
- इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार/ वित्त विभाग, आर्थोपाय शाखा (बजट) बिहार, पटना को दी जा रही है।

(अंजनी कुमार सुमन)

मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(अंजनी कुमार)

संयुक्त सचिव (प्र0को0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

संचिका संख्या-09/निधि-(2013 मंत्रिपरिषद)-01-08/2026- 34(S) ^{uueA}

पटना, दिनांक : 01/06/2026

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/ वित्त विभाग आर्थोपाय शाखा (बजट) बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/ मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/ संबंधित प्रमंडल आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अंजनी कुमार सुमन)

मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(अंजनी कुमार)

संयुक्त सचिव (प्र0को0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

संचिका संख्या-09/निधि-(2013 मंत्रिपरिषद)-01-08/2026- 34(S) ^{uueA}

पटना, दिनांक : 01/06/2026

प्रतिलिपि- सचिव, प0नि0वि0/ माननीय मंत्री, प0नि0वि0 के आप्त सचिव/ अभियंता प्रमुख, प0नि0वि0, पटना/ मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना), प0नि0वि0 / संयुक्त सचिव (प्र0को0), प0नि0वि0, पटना / संबंधित मुख्य अभियंता, प0नि0वि0 / संबंधित अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, प0नि0वि0/ कार्यपालक अभियंता (बजट-1), प0नि0वि0/ अवर सचिव (बजट), प0नि0वि0 / आई.टी. मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं प्रशाखा पदाधिकारी-9 / लेखा शाखा, प0 नि0 वि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अंजनी कुमार सुमन)

मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(अंजनी कुमार)

संयुक्त सचिव (प्र0को0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

उप-आवंटन विवरणी

संचिका संख्या-09/निधि-(2013 मंत्रिपरिषद)-01-08/2026- 34(S) ^{uueA}

पटना, दिनांक : 01/06/2026

| क्रम सं0 | कार्यालय का नाम जिन्हें उपावंटन दिया जा रहा है। | उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत पूर्व में उपावंटित राशि | वर्तमान उपावंटित राशि | कुल उपावंटित राशि | अभ्युक्ति पत्रांक / दिनांक के आलोक में |
|----------|--|---|-----------------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग (मुख्यालय), बिहार, पटना | 0 | 75,000 | 75,000 | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के पत्रांक- 3/सी0 एस0/ एम0- 16/2026-518, दिनांक- 13.05.2026 तथा अवर सचिव (लेखा), प0नि0वि0 के पीत पत्र सं0- 3396 दिनांक- 19.05.2026 के आलोक में |
| कुल योग | | 0 | 75,000 | 75,000 | |

वर्तमान आवंटन शब्दों में पचहत्तर हजार रुपये मात्र।

(अंजनी कुमार सुमन)

मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(अंजनी कुमार)

संयुक्त सचिव (प्र0को0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।